अध्याय - 6

कोयला एवं लिग्नाइट परियोजनाएं

6.1 कोयला परियोजनाओं का मूल्यांकन एवं मानीटरिंग

6.1.1 कोल इंडिया लि. (सीआईएल) को ''महारत्न'' का दर्जा प्रदान किए जाने पर वह अब अपनी सहायक कंपनियों के बोर्डों को प्रत्यायोजित शक्तियों के बाहर वाली परियोजनाओं सहित अपनी सभी परियोजनाओं को स्वीकृत/अनुमोदित करने तथा कार्यान्वित करने के लिए सक्षम है। ''मिनी रत्न का दर्जा'' प्रदान कर दिए जाने के कारण नार्दन कोलफील्डस लि. (एनसीएल), वेस्टर्न कोलफील्डस लि. (डब्ल्यूसीएल), साथिं ईस्टर्न कोलफील्डस लि. (एसईसीएल), महानदी कोलफील्डस लि. (एमसीएल) और सेन्ट्रल कोलफील्डस लि. (सीसीएल) के निदेशक मंडलों को 500 करोड़ रू. तक की परियोजनाओं को अनुमोदित करने का अधिकार प्राप्त है। सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लि. (सीएमपीडीआईएल) के निदेशक मंडल को 250 करोड़ रू. तक की लागत वाली परियोजनाओं को अनुमोदित करने का अधिकार प्राप्त है क्योंकि यह कंपनी मिनिरत्न की श्रेणी।। के अंतर्गत आती है। ईस्टर्न कोलफील्डस लि. (ईसीएल) तथा भारत कोकिंग कोल लि. (बीसीसीएल) के निदेशक मंडल 20 करोड़ रू. तक की कोयला परियोजनाएं अनुमोदित कर सकते हैं। संबंधित सहायक कंपनियों की अनुमोदन क्षमता से बाहर के पूंजीगत व्यय वाली परियोजनाओं को संबंधित सहायक कंपनी के बोर्ड द्वारा अनुमोदन किए जाने के बाद अंतिम अनुमोदन के लिए सीआईएल बोर्ड को भेजा जाता है। नवरत्न दर्जा प्राप्त सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (पीएसई) को प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों के अनुसार, एनएलसी को नई मदों की खरीद पर अथवा मदों को बदलने के लिए बिना किसी मौद्रिक सीमा के पूंजीगत व्यय करने के लिए शक्ति दी गई है। तदनुसार, एनएलसी बोर्ड नए परियोजना प्रस्तावों को अनुमोदित करने के लिए समर्थ है।

6.1.2 कोयला कंपनियों द्वारा कोलियरी स्तर, क्षेत्रीय स्तर तथा मुख्यालय स्तर पर कोयला परियोजनाओं का प्रबोधन किया जाता है। जहां भी आवश्यक हो निवारक कार्रवाई की जाती है। 150 करोड़ रू. तथा इससे अधिक की लागत वाली कोयला परियोजनाओं की तिमाही परियोजना प्रबोधन रिपोर्टों को सभी कंपनियों द्वारा इस मंत्रालय तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को प्रस्तुत किया जाता है। कोयला मंत्रालय में 500 करोड़ रू. तथा 3 मि.ट. प्रतिवर्ष अथवा उससे अधिक की लागत वाली प्रमुख कोयला परियोजनाओं का प्रबोधन सचिव (कोयला) के स्तर पर तिमाही आधार पर किया जाता है।

इस बैठक में योजना आयोग, व्यय विभाग, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय एवं रेल मंत्रालय के सदस्य भी भाग लेते हैं। ऐसी बैठकें कोयला कंपनियों द्वारा प्रस्तुत की गई सूचनाओं के आधार पर की जाती हैं जिनमें कोयला कंपनियों द्वारा उनके क्षेत्राधिकार और कमांड क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली परियोजनाओं के कार्यान्वयन में आने वाली विभिन्न समस्याओं को दर्शाया जाता है। समीक्षा बैठकों में लिए गए निर्णयों के

आधार पर कोयला मंत्रालय तथा संबद्ध कोयला कंपनी, दोनों ही के द्वारा उपयुक्त अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है। इसके अलावा, जब भी कोयला कंपनियां कोयला परियोजनाओं के कार्यान्वयन को प्रभावित करने वाले किसी लंबित मुद्दे के समाधान हेतु सरकार की सहायता प्राप्त करने के लिए मंत्रालय से संपर्क करती हैं, तो मंत्रालय द्वारा उस मुद्दे को उपयुक्त स्तर पर संबद्ध प्राधिकारियों के साथ उठाया जाता है।

6.2 कोयला और लिग्नाइट परियोजनाएं

6.2.1 1.1.2013 से 31.3.2014 की अवधि के दौरान सरकार द्वारा कोई परियोजनाएं स्वीकृत नहीं की गई है।

6.2.2 एनएलसी बोर्ड द्वारा अप्रैल, 2012 में 3027.59 करोड़ रू. की राशि के लिए तापीय विद्युत स्टेशन–प्प विस्तार के लिए संशोधित अनुमान का **(आरसीई–II)** अनुमोदन दिया था।

क) 1.1.2013 से 31.3.2014 तक कोल इंडिया लि. द्वारा स्वीकृत नयी/ विस्तारित/विस्तार परियोजनाएं :

क्र. सं.	परियोजना	कंपनी	अनुमोदन की तारीख	स्वीकृत क्षमता (मि.टट. प्रति वर्ष)	स्वीकृत पूंजी (करोड़ रू. में)
1.	कुसमुण्डा ओसीपी	एसईसीएल	03.08.2012	50.00 (35 वृद्धिक)	7612.33 **(वृद्धिक 6912.33)**
2.	छाल ओसीपी	एसईसीएल	16.12.2013	06.00	2127.59
3.	नार्थ तिसरा साउथ तिसरा ओसी	बीसीसीएल	12.02.2014	6.00	555.52

(ख) 1.1.2013 से 31.3.2014 तक सहायक कोयला कंपनियों द्वारा स्वीकृत नयी/विस्तारित/विस्तार परियोजनाएं:–

क्र. सं	परियोजना	कंपनी	स्वीकृत की तिथि	स्वीकृत क्षमता (मि. टट. प्रति वर्ष)	स्वीकृत पूंजी (करोड़ रू. में)
1.	सयाल 'डी' ओसीपी	सीसीएल	10.10.2013	1.00	48.53
2.	जीवनधारा ओसी	सीसीएल	19.11.2013	1.00	282.20
3.	मुंगोली एंड निरगुदा विस्ता. ओसी	डब्ल्यूसीएल	06.02.2014	3.00	372.52
4.	हिंदुस्तान लालपेथ	डब्ल्यूसीएल	06.02.2014	1.00	40.07

(ग) 1.1.2013 से 01.3.2014 तक कोल इंडिया लि. द्वारा स्वीकृत आरसीई / आरपीआर / यूसीई

(घ) 1.1.2013 से 31.3.2014 तक सहायक कोयला कंपनियों द्वारा स्वीकृत आरसीई / आरपीआर / यूसीई

क्र. सं	परियोजना	कंपनी	अनुमोदन की तिथि	स्वीकृत क्षमता (मि.टट. प्रति वर्ष)	स्वीकृत पूंजी (करोड़ रू. में)
1.	महान ओसी	एसईसीएल	30.01.2013	0.36	148.72
2.	लजकुरा ओसी	एमसीएल	31.03.2013	2.50	60.77

6.2.3 01.01.2013 से 31.03.2014 के दौरान सरकार द्वारा एससीसीएल की किसी परियोजना को स्वीकृति नहीं दी।

6.2.4 भारत सरकार ने 27 नवम्बरए 2013 को नेयवेली थर्मल विद्युत लि. (एनटीपीएल) के लिए 6602.74 करोड़ रूपए का संशोधित लागत अनुमान (आरसीई) अनुमोदित किया।

6.2.5 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार सीआईएल में कुल 737 खनन परियोजनाओं में से 2 करोड़ रू. पए तथा उससे अधिक लागत वाली 441 परियोजनाएं पूरी हो गई हैं (वे परियोजनाएं जिनका विलय किया गया है, जिन्हें पूरा किया गया तथा विलय किया गया, मोचन निषेध किया गया तथा जहां कोयला भंडार समाप्त हो गया शामिल हैं) तथा 150 परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं (लागत जमा आधार पर अनुमोदित 15 परियोजनाओं को छोड़कर और शेष 131 परियोजनाएं हटा गई हैं / रद्द की गई हैं। आज की तारीख में इन 36 परियोजनाओं में मुख्यतः भूमि के अधिग्रहण तथा सम्बद्ध आर एंड आर मसलों, वन अनुमोदन की मंजूरी में विलंब तथा कोयला निकासी सुविधाओं के अभाव जैसे कारणों की वजह से विलंब हो रहा है।

इसी प्रकार 20 करोड़ रूपए तथा उससे अधिक लागत वाली परियोजनाओं की निगरानी सीआईएल स्तर पर की जा रही है। 20 करोड़ रूपए तथा उससे अधिक लागत वाली 117 खनन और 25 गैर–खनन चालू परियोजनाएं सीआईएल में कार्यान्वयनाधीन हैं। इनमें से 87 खनन परियोजनाएं और 04 गैर–खनन परियोजनाएं विलंब से चल रही हैं।

सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि. (एससीसीएल) में 20 करोड़ रूपए तथा उससे अधिक लागत वाली कुल 26 परियोजना (22 खनन परियोजनाएं तथा 04 गैर–खनन परियोजनाएं कार्यान्वयनाधीन हैं। इन 22 परियोजनाओं में से 08 परियोजनाएं समय से चल रही हैं तथा 14 परियोजनाएं विलंब से चल रही हैं।

कंपनी	परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत पूंजी (करोड़ रू. में)	क्षमता मि.ट. प्रति वर्ष	परियोजना की समय–सीमा	परियोजना में विलंब
एससीसीएल	खनन - 22	5872.35	41.67	08	114
एससीसीएल	गैर–खनन - 04	5876.50	-	04	-
कुल	**26**	**11748.85**	**-**	**12**	**14**

6.3 परियोजनाओं के कार्यान्वयन में चूक के मुख्य कारण निम्नवत हैं:

(क) भूमि के अधिग्रहण में विलंब तथा पुनर्वास से संबंधित सम्बद्ध समस्याएं।

(ख) पर्यावरणीय एवं वानिकी मंजूरी देने में विलंब ।

(ग) प्रतिकूल भू–खनन परिस्थिति के कारण विलंब।

(घ) अन्य विविध समस्याएं जैसे ठेकेदार द्वारा काम में देरी करना अथवा छोड़ देना, निविदा में भाग न लेना, डीजीएमएस की अनुमति में विलंब।

6.4 परियोजना के कार्यान्वयन में सुधार लाने के लिए किए गए उपाय

6.4.1 भूमि अधिग्रहण तथा पुनर्वास :

i) सीआईएल ने मार्च, 2012 में एक नयी पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन नीति को अनुमोदित किया है जिसमें सभी स्तरों पर भूमि के अधिग्रहण में तेजी लाने के उद्देश्य से आर एंड आर मसलों का समाधान निकालने के लिए सहायक कंपनियों को और अधिक लचीलापन प्रदान किया गया है।

ii) अधिग्रहण कार्यवाही को शीघ्र निपटाने के लिए संबंधित राज्य सरकारों के अधिकारियों के साथ सक्रिय रू.प से अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है।

iii) राज्य प्राधिकारियों अर्थात भूमि राजस्व आयुक्त, भूमि राजस्व सचिव और मुख्य सचिव तथा संबंधित राज्य सरकारों द्वारा गठित समितियों के साथ नियमित रू.प से बैठकें की जाती हैं ताकि गंभीर समस्याओं का निपटारा किया जा सके।

iv) आवश्यकताओं को पूरा करने तथा प्रश्नों के उत्तर हेतु जिला तथा तहसीलदार स्तर पर वन अधिकारियों के साथ नियमित आधार पर संपर्क किया जाता है। वन प्रस्तावों को शीघ्र स्वीकृति के लिए एमओईएफ के क्षेत्रीय तथा मुख्य कार्यालयों के साथ आवधिक संपर्क किए जाते हैं।

v) पुनर्वास स्थल के चयन के लिए भूस्वामियों/ग्रामीणों के साथ चर्चा की जाती है और उन्हें पुनर्वास लाभ स्वीकार करने तथा पुनर्वास स्थल पर स्थानांतरित होने के लिए राजी किया जाता है।

6.4.2 भू–खनन संबंधी कठिनाइयां

भू–खनन परिस्थितियों का अग्रिम और सही तौर पर पूर्वानुमान लगाने के लिए परिष्कृत भू–गर्भीय तथा भू–भौतिकीय अन्वेषण तकनीकें धीरेधीरे अपनायी जा रही हैं।

6.5 परियोजना प्रबंधन :

i) परियोजनाओं के कार्यान्वयन के संपूर्ण उत्तरदायित्व के लिए प्रत्येक कंपनी में निदेशक (परियोजना तथा आयोजना) की तैनाती।

ii) सरकार द्वारा परियोजना तैयार करने तथा मानीटरिंग के लिए विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

iii) विभिन्न स्तरों पर प्रबोधन प्रणाली का मानकीकरण किया गया है।

iv) महाप्रबंधक/मुख्य महाप्रबंधक द्वारा क्षेत्र स्तर पर तथा निदेशक

(परियोजना) द्वारा नियमित अन्तरालों पर तथा सीएमडी द्वारा कारपोरेट स्तर पर मासिक आधार अथवा नियमित अंतरालों पर परियोजना का प्रबोधन किया जाता है।

v) परियोजना की स्थिति की भी अपवाद के रू.प में कंपनी बोर्ड की प्रत्येक बैठक में समीक्षा की जाती है।

vi) जब परियोजना का व्यय स्वीकृत पूंजी के 50% से अधिक हो जाता है तो कंपनी स्तर पर परियोजनाओं की अनिवार्य समीक्षा की जाती है।

vii) सीआईएल बोर्ड में 100 करोड़ तथा उससे अधिक की लागत वाली परियोजनाओं की भी अपवाद स्वरू.प समीक्षा की जाती है।

viii) 150 करोड़ रूपये और इससे अधिक लागत वाली परियोजनाओं के संबंध में प्रगति रिपोर्टें कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग को नियमित रू.प से भेजी जाती हैं।

ix) 150 करोड़ रूपये और उससे अधिक लागत वाली परियोजनाओं का कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग नियमित रू.प से मानीटरिंग करता है।

x) **निवेश संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीआई)** : प्रधानमंत्री के अनुमोदन से 2 जनवरी, 2013 को निवेश संबंधी मंत्रिमंडल समिति का गठन किया गया था। समिति के कार्य (i) 100 करोड़ रू. या उससे अधिक के पूंजीनिवेश वाली समयबद्ध आधार पर कार्यान्वित की जाने वाली प्रमुख परियोजनाओं और अन्य कोई महत्वपूर्ण परियोजनाओं की पहचान करना (ii) अपेक्षित अनुमोदन आदि जारी करने के लिए समय–सीमा करना (iii) पहचान की गई परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी करना (iv) परियोजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा करना (v) स्वीकृति तथा अनुमोदनों की मंजूरी देने/मंजूरी न देने के लिए मंत्रालयों/विभागों द्वारा अपनायी गई क्रियाविधियों की समीक्षा करना है।

xi) **परियोजना निगरानी दल (पीएमजी)**: सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र दोनों में ट्रैक बाधिक निवेश परियोजनाओं के लिए एक सांस्थानिक तंत्र पर विचार करने तथा इन परियोजनाओं को त्वरित गति के आधार पर कार्यान्वित करने एवं कमियां दूर करने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बैठक बुलाई गई थी। प्रधानमंत्री के निर्देश पर मंत्रिमंडल सचिवालय में एक विशेष सेल सृजित किया गया था। पीएमजी नियमित रूप से केवल राज्य तथा केन्द्र स्तर पर उनकी वेबसाइट पर सूचीबद्ध किसी लंबित मसले का समाधान निकालने के लिए निगरानी करता है और लंबित मसलों का समाधान निकालने के लिए राज्य सरकार तथा केन्द्रीय मंत्रालयों के साथ नियमित बैठकें करता है।

6.5.1 परियोजना के कार्यान्वयन में राज्य सरकार से मांगा गया सहयोगः

i) राज्य सरकार भी भूमि के अधिग्रहण के लिए कोयला कंपनियों के साथ सहयोग करें। राज्य सरकारों द्वारा भूमि का कब्जा दिया जाना राज्य सरकार के पास अपेक्षित निधि जमा कराने के पश्चात सुनिश्चित किया जाना चाहिए ताकि परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विलंब से बचा जा सके।

ii) पर्यावरणीय अनुमोदन (ईसी) के प्रस्तावों की मंजूरी के लिए समयबद्ध रूप से सार्वजनिक सुनवाई होनी चाहिए।

iii) वन भूमि के अधिग्रहण की जिम्मेवारी कोयला कंपनियों द्वारा ही निवल वर्तमान मूल्य प्रभार आदि के भुगतान तक सीमित होनी चाहिए। विभिन्न चैनलों में फाइलों के संचालन को सीमित करके, प्रस्ताव पर कार्रवाई करने के अपेक्षित समय को अब कम किया जाना चाहिए। समयबद्ध रू.प से ग्राम सभा होनी चाहिए ताकि एफआरए अधिनियम के अधीन अनापत्ति प्रमाण–पत्र जल्दी से प्राप्त किया जा सके।

iv) कोलियरियों ने कोयले की निकासी के लिए रेल अवसंरचना के निर्माण हेतु राज्य प्राधिकारियों/पर्यावरण तथा वन मंत्रालय द्वारा अनुमोदन देने में एक सार्थक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है।

6.5.2 तीन सम्भावित कोलफील्ड्स में तीन महत्वपूर्ण रेल लाइनों का कार्यान्वयन :

पिटहैट से कोयले की निकासी / आवाजाही के उद्देश्य से तीन संभावित कोलफील्डों में तीन महत्वपूर्ण रेल लाइनों की पहचान की गई हैं जो निम्नवत हैं:

i) झारखण्ड में उत्तरी करनपुरा में तोरी–शिवपुर–कथोतिया रेल लाइन (90.7 किलोमीटर)।

ii) ईब घाटी, ओडिशा में झार्सुगुडा – बारापल्ली – सरडेगा, रेललाइन (53 किलोमीटर)।

iii) छत्तीसगढ़ में मांद–रायगढ़ कोलफील्ड में भूपदेवपुर–कोरिछपार – धरमजगढ़ (180 किलोमीटर)।

रेल मंत्रालय के अनुसार इन तीनों रेल लाइनों की स्थापना की विचारित तारीख क्रमशः दिसम्बर, 2016, जून, 2015 और सितम्बर, 2016 हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय ने उपर्युक्त तीन महत्वपूर्ण रेल परियोजनाओं की निगरानी तथा कार्यान्वयन हेतु रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक अंतर–मंत्रालयी समिति (आईएमसी) का गठन किया है जिसमें कोयला, विद्युत एवं पर्यावरण और वन मंत्रालय के सचिव सदस्य हैं। संबंधित मसलों का समाधान निकालने के लिए आईएमसी द्वारा नियमित बैठकें की जा रही हैं। इन तीनों रेल लाइनों के पूरा होने पर इन कोलफील्डों से 200 मि.ट. की सीमा तक उत्पादन बढ़ाने में सहायता मिलेगी।

6.6 निर्माणाधीन / कार्यान्वयनाधीन लिग्नाइट परियोजनाएं:

6.6.1 टीपीएस–II विस्तार परियोजना के संबंध में यूनिट–I को तेल के साथ 18 मई, 2011 तथा लिग्नाइट के साथ 27 जून, 2011 को मिलाया गया। यूनिट–I संशोधन के बाद 8 मार्च, 2014 को साउथ ग्रिड के साथ मिलाया गया।

यूनिट–II के संबंध में 24 अक्तूबर, 2013 को बायलर को चालू किया गया। टरबाइन को 3000 आरपीएम की दर से रोल किया गया और शॉट सकिंट विद्युत परीक्षण 25 अक्तूबर, 2013 को कार्यान्वित किया गया। स्थापना पूर्व क्रियाकलाप किए जा रहे हैं। मैसर्स भेल ने अब मई, 2014 में यूनिट–II को स्थापित करने की प्रतिबद्धता की है।

6.6.2 तूतीकोरिन में एक कोयला आधारित थर्मल पावर परियोजना (1000 मे.वा.) 4909.54 करोड़ रूपए की लागत से मई, 2008 में स्वीकृत की गई थी। एनएलसी इस परियोजना को एनएलसी तमिलनाडु पावर लि. (एनटीपीएल) के माध्यम से कार्यान्वित कर रही है जो एक संयुक्त उद्यम है जिसे एनएलसी और टीएनईबी द्वारा 89:11 के अनुपात में इक्विटी की भागीदारी से बनाया गया है। दोनों यूनिटों में बायलर संरचनाओं का उत्थापन, प्रेशर पार्ट, ईएसपी, वायु हीटर्स, डक्स पंखे और मिल्स प्रगति पर हैं। दोनों यूनिटों में कन्डेंसर मेकेनिकल उत्पादन प्रगति पर है। सेवा भवन के लिए सिविल कार्य, इलेक्ट्रो स्टेटिक प्रीसीपेटर नियंत्रण कक्ष, फ्यूल आयल पम्प हाउस, कंडेन्सेट स्टोरेज टेंक, कम्प्रेसर हाउस, पावर हाउस सुपर अवसंरचना, पाइप रेक फाउन्डेशन का कार्य प्रगति पर है। अनुमानित स्थापना: यूनिट–I, जुलाई, 2014 तथा यूनिट–II, सितम्बर, 2014 है।

6.6.3 नेयवेली न्यू थर्मल पावर स्टेशन

मौजूदा 600 मे.वा. की टीपीएस। के प्रतिस्थापन के रू.प में नेयवेली में 5907.11 करोड़ रू. की स्वीकृत लागत से नेयवेली न्यू थर्मल पावर स्टेशन (2×500 मे.वा.) 9 जून, 2011 को भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया है। स्टीम जनरेटर पैकेज और टर्बो जनरेटर पैकेज के लिए आश्वासन पत्र भेल द्वारा क्रमशः 31 अक्तूबर, 2013 तथा 23 दिसम्बर, 2013 को जारी किए गए थे। संयंत्र के शेष कार्य के लिए पेशकशों का मूल्यांकन किया जा रहा है।